

संस्कृत भाषा विभाग
संख्या ।४।०/५/प्रदेशीय ५-अड्डीस-२०१३-३२८४/२०१२

मुख्य

राज्योदय कुमार औरंगज़ेब
सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

संघीय

प्रभुत्य सचिव/सचिव,

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/भूमि विभाग एवं जल संरक्षण/
कृषि/सिंचाई/वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-५

लखनऊ: दिनांक ।२-जुलाई, २०१३

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत सरटेनविलिटी मद से मात्राकृत धनराशि से बाटर रिचार्जिंग की योजनाओं को कियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत सरटेनविलिटी मद से कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रक्रिया के निर्धारण सम्बन्धी शासनदेश संख्या-१७१८/अड्डीस-५-२०१३-३२ सम/३०१३ दिनांक ०८ जुलाई, २०१३ (प्रति संलग्न) जारी किया गया है, जिसमें लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग की नीति विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-२८०/६२-१-२०१३-७ डब्लू पी-२००४ टी०सी०-।।।, दिनांक १८ फरवरी, २०१३ में उल्लिखित कार्यदायी संस्थाओं से कार्तिपथ शर्तों के अधीन कार्य कराये जाने की घवस्था निर्धारित की गयी है।

२- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के रास्टेनविलिटी घटक से ग्रामीण पेयजल योजनाओं के परिपेक्ष में बाटर सिंचायोरिटी एवं सरटेनविलिटी का कार्य कराया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अद्यतन दिशा-निर्देशों में सरटेनविलिटी नाम से बताये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में विस्तृत विश्लेषण हो रहे हैं, जिसके सुझाव लद्दाख की प्रति सुलभ सम्भाव हेतु संतान हैं। ग्राम्य विकास विभाग के पास प्रदेश के प्रामाण क्षेत्रों में भूजल रिचार्ज हेतु क्रिटिकल, समाइक्टिकल, लाफ, ऐव अतियोहत क्षेत्रों में सुझाव कार्यों हेतु रास्टेनविलिटी मद के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध है।

३- अतः इस सम्बन्ध में नुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि ग्राम्य विकास विभाग के उपर्युक्त शासनदेश दिनांक ०८.०७.२०१३ एवं उसमें उल्लिखित लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग की नीति विषयक कार्यालय ज्ञाप दिनांक १८ फरवरी, २०१३ में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत सरटेनविलिटी मद से कराये जाने वाले कार्यों की परियोजना/प्रस्ताव ग्राम्य विकास विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संतानक: यथोक्त।

गवर्दीय,



(राकेश कुमार जोशी)
सचिव ।

संख्या ।४।०(६)/अड्डीस-५-२०१३, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।

१. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
२. प्रबन्ध निदेशक, य००१०स्टेट एंपो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन, लखनऊ।
३. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, जवाहर भवन, लखनऊ।
४. निदेशक, भूगर्भ जल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
५. प्रभुत्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
६. प्रबन्ध निदेशक, प्रोजेक्ट कार्पोरेशन, लखनऊ।
७. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, लखनऊ।
८. गर्ड एडल।

आज्ञा से,


(शिव कुमार पाठक)
अनु सचिव।